5.1.4. The Institution adopts the following for redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases

1. Implementation of guidelines of statutory/regulatory bodies
2. Organisation wide awareness and undertakings on policies with zero tolerance
3. Mechanisms for submission of online/offline students' grievances
4. Timely redressal of the grievances through appropriate committees

Registrar
A.P.S University
Rewa (M.P.)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2020 / 329 रीवा, दिनांक 20.8.20

बैठक सूचना

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक / कार्मिक / 2020 / 316 दिनांक 06.08.2020 द्वारा प्राक्टोरियल बोर्ड / एन्टी रैगिंग समिति के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 24.08.2020 को प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में अपरान्ह 03:00 बजे आयोजित की जाती है। समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि समय पर बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

सहायक कुलसचिव(कार्मिक)

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समिति के सम्माननीय संयोजक एवं सदस्यगण की ओर सूचनार्थ।
2. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक
3. संबंधित नस्ती।

20/8/20

अनुभाग अधिकारी (कार्मिक)

D:/Meeting

REPORT OF
PROCTORIAL BOARD'S ACTIVITIES
कुलानुशासक मंडल के कियाकलापों का प्रतिवेदन

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(8) के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विद्यार्थियो में अनुशासन हेतु अध्यादेश कमाक 57 लागू हैं। जिसके पैरा क.4 के अनुसार There shall be a Proctorial Borad Consisting of a Proctor and such number of Joint Proctors as the Exective council may decide.

अध्यादेश क.57 के पैरा, 7 से 14 तक Proctor तथा Proctorial Board के अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख है। इसी अध्यादेश के पैरा क.15 से 19 तक Proctor के संयोजकत्व में सम्पूर्ण विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति का प्रावधान हैं। उपरोक्तानुसार गठित Proctorial Borad के समक्ष विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अग्रेषित अनुशासन हीनता के प्रकरण विचार/निर्णय हेतु आते है। इसके अतिरिक्त, Proctorial Board की समय–समय पर विश्वविद्यालय मे अनुशासन बनाए रखे जाने हेतु समीक्षा बैठकें भी आयोजित होती है। साथ ही बिभिन्न अनुशासन हीनता को सम्बन्धी प्रकरणो का समुचित निराकरण किया जाता हैं। इस संदर्भ मे विगत वर्षो में निराकृत किए गए कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है।

1. बैठक दिनांक, 19.1.2017 में श्री अशोक कुमार मिश्रा अधीक्षक पुरूष छात्रावास द्वारा पुराने छात्रो के द्वारा शुल्क जमा नही करने तथा बिना प्रवेशित हुए छात्रावास में रहन की शिकायत का निराकरण किया गया।

2. बैठक दिनांक.21/3/2016 मे बी.काम.आनर्स द्वितीय सेमेस्टर (2015–16) की छात्रा द्वारा छेडखानी की शिकायत पर आरोपित विद्यार्थियो एवं विभाग के अतिथि शिक्षको का बयान लेकर दोनो पक्षों की सुनवाई पश्चात दोषी छात्र को अनुशासनहीनता की प्रवृति के आधार पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया साथ ही अंतिम चेतावनी दी गई कि अनुशासनहीनता की पुनरावृत्ति होने पर उसे विश्वविद्यालय से निष्सकाषित किया जावेगा।

3. बैठक दिनांक, 17/3/2017 में बी.काम.आनर्स के दो छात्रों के विरूद्व विभागाध्यक्ष की अनुशासनहीनता की शिकायत पर आरोपी विधार्थियों एवं उनके अभिभावको को कुलानुशासक मडल के समक्ष लिखित बयानो हेतु बुलाया गया । छात्रो को दोषी पाये जाने पर दोनों दोषी छात्रों को आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया तथा अंतिम चेतावनी दी गई कि घटना की पुनरावृत्ति करने पर उन्हे विश्वविद्यालय से निश्काषित कर दिया जावेगा।

4. दिनांक. 23/12/2015 की बैठक बी.काम.आनर्स प्रथम सेमेस्टर के छात्रो के विरूद्व अनुशासन हीनता के शिकायत के प्रकरण पर सुनवाई करने के वाद छात्र को दोषी पाए जाने पर सात दिवसो के लिए कक्षा से निलंवित किया गया। तथा विभागाध्यक्ष से उसके आगामी आचरण एवं कार्य व्यवहार पर निगरानी रखने हेतु कहा गया।

5. बैठक दिनांक. 12/10/2015 में बी.सी.ए. तृतीय सेमेस्टर (2015–16) के छात्र द्वारा लगातार अनुशासन हीनता की शिकायत विभागाध्यक्ष के द्वारा किए जाने पर धटना के सबंध में उभय पक्षो की सुनवाई की गई तथा प्रकरण में छात्र को दोषी पाए जाने पर विभागाध्यक्ष द्वारा अध्यादेश क. 7(13) के अंर्तगत अनुशासन कार्यवही की पुष्टि की गई

इसी बैठक में एक अन्य प्रकरण में विश्वविद्यालय के जैव–प्रौधोगिकी पाठ्यकम में कार्यरत अतिथि विद्वान डा. शेर सिंह परिहार के द्वारा उनके साथ की गई मारपीट की घटना की शिकायत पर उचित कार्यवाही की गई।

उपरोक्त कार्यो के अतिरिक्त Proctorial Board द्वारा समय –समय पर विधार्थियो से संबंधित रैगिंग के प्रकरणों पर भी समुचित दिशानिर्देश प्रदान किए गए एवं कैम्पस में अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्यवही हेतु समीक्षा बैठकें की गई।

उपरोक्त प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(signature) 20/08/2020	(signature) 20.8.2020	(signature) 20-08-2020
Prof. A.K. SRIVASTAVA	Prof. A. P. Mishra	Prof. R.N. Patel
Proctor	Joint Proctor	Joint Proctor

ORDINANCE NO. 57

Ordinance for maintenance of discipline amongst the students of the University Teaching Department

(Section 37 clause (viii) of the M.P.V.V. Adhiniyam, 1973)

1. All students prosecuting a course of studies at the University Teaching Departments shall observe a code of conduct as may be laid down by the Executive Council and also abide by all rules and regulations of the University framed and notified from time to time.

2. Any violation of the code of conduct or breach of any rule or regulation of the University by any student shall constitute an act of indiscipline and shall make him liable for disciplinary action against him.

3. The following acts, in particular, shall constitute acts of gross indiscipline and any student indulging in any of them shall render himself liable for disciplinary action against him:-

A. Disobeying the teacher or misbehaving in the class.

B. Quarrelling or fighting in any University building or in the campus amongst themselves.

C. Quarrelling or fighting with a University employee or any employee of the University canteen, mess or any other public utility functioning in the campus.

D. Behaving in the University campus or outside in a manner which is indecent or which is meant to annoy or harass the teachers, officers or employees of the University.

E. Any other act which the Disciplinary committee may determine and the Kulpati may accept as an act of gross indiscipline.

F. However, all cases of indiscipline within hostel premises shall be dealt by the warden concerned. To deal with such incident the Warden shall have all the powers prescribed for the proctor in this ordinance.

4. There shall be a Proctorial Board consisting of a Proctor and such number of Joint Proctors as the executive council may decide.

5. The Proctor and the Joint Proctors shall be appointed by the Kulpati from amongst the teachers of the University ordinarily for a period not exceeding two years at a time.

6. The proctor and each of the Joint Projectors shall be paid allowances as follows

1. Proctor Rs. 200.00 P.M.
2. Joint Proctor Rs. 100.00 P.M.

7. Powers and duties of the Proctor - The Proctor shall take action in all matters which are referred to him for disciplinary action by any responsible person or constituted authority of the University. He may also take action in matters which come to his knowledge and which, in his opinion call for disciplinary action.

However, cases of indiscipline in examination halls shall be dealt with in accordance with provision of relevant ordinances.

8. The Proctor may delegate any of his powers to Joint Proctor/Joint Proctors.

In the absence of Proctor the senior most Joint Proctor shall act as proctor and shall have all such powers which are exercised by the proctor.

9. If in the opinion of the Proctor, the act of indiscipline requiring action is not of a serious nature, he may hold summary inquiry and shall have powers to impose the following penalties:-

A. a formal caution
B. a fine not exceeding Rs. 50.00

10. If in the opinion of the proctor, the breach of discipline is of a serious nature, he may refer the case for investigation by the Proctorial Board, Proctor and Joint Projector or any two Joint Proctors shall constitute a quorum for sitting for such investigation.

11. The investigation by the Proctorial Board may include:-

A. Issue of show cause notice to the person/persons concerned specifying the nature of charge/complaint against him/them.

B. Recording of statement of the accused person/persons and of such other person/persons as the Board may deem necessary.

C. Examination of such other documents or evidences/as the proctorial Board may find necessary.

12 (a). After investigation the Board may recommend imposition of fine and/or other punishment which could include a recommendation for rustication or expulsion of student/students also.

(b) Recommendations of imposition of fine not exceeding Rs. 50.00 shall be sent to the Proctor for action. All other recommendations shall be sent to the Kulpati who may accept the recommendation or pass such orders thereon as he may deem fit.

13. In cases of acts of indiscipline, which in the opinion of the Proctor are of very serious nature or which constitute a grave offence under the criminal law the investigation and action on the same may be entrusted to the police. In all such cases the Proctor shall send a report, to the police and also inform the Registrar.

14. In the cases under investigation by the Proctorial Board or the police, if the Proctor is of the opinion that immediate action is called for in the interest of maintenance of peace and discipline, he may recommend to the Kulpati that the student/students concerned be suspended from their classes pending investigation of their cases. If the Kulpati accepts the recommendation. The student/students shall be suspended by

the Proctor from their classes for the
period specified in the order of the Kulpati.

15. There shall be a Disciplinary Committee consisting of the following :-

1. Proctor .... Convenor
2. Dean, Student,s Welfare
3. Professor Incharge of Student Union
4. Joint Proctors
5. Warden of the Hostels & Joint Wardens
6. President of students society of the U.T.D.
7. Two other students nominated by the Kulpati.

One of the Joint Proctors will be nominated by the Proctor as secretary of the Disciplinary Committee.

16. The Disciplinary Committee shall ordinarily be convened once in each academic term and it shall review general situation regarding discipline in the University and make suggestions in this regard. Any specific cases of indiscipline may also be referred to the Disciplinary Committee for giving its opinion regarding the action to be taken.

17. All punishments awarded to students shall be recorded in a register to be maintained by the Proctor. The register shall be a permanent record of the University and shall contain such details as may be prescribed or approved by the executive council.

18. Certificate regarding character and conduct of student of the University Teaching Department may be issued to him by the Proctor. However, in the case of a student who has been awarded punishment three or more times by the Proctor himself or on the recommendation of the Proctor, the fact that he was so penalised shall be mentioned in the certificate of character and conduct to be issued by the Proctor. The certificate of character and conduct issued by the Proctor shall be the only valid certificate of the University in that regard.

19. If the Proctor finds that in any incident of disturbances or breach of peace certain persons who are not on the rolls of the University are involved or are likely to be involved he may send a recommendation to the Kulpati that the University campus be declared out of bounds for such persons. If the recommendation is accepted by the Kulpati a notification declaring that such persons are debarred from entering the campus shall be issued by the Proctor and a copy of the notification shall be sent to the District Magistrate and Supdt. of Police and such other administrative authorities as the Kulpati may deem fit. So long as the notification issued under this paragraph remains in force entry into the campus of person/persons, debarred from entering the campus, shall be deemed to be an act of criminal trespass and shall be dealt with accordingly.

Approved by coord. No. 41 dated 18.6.90

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2020/395 रीवा, दिनांक 10.9.2020

आदेश

अधिसूचना क्रमांक/कार्मिक/2020/316 दिनांक 6.8.2020 द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालयों में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिए विशेष अधिनियम 1973 के प्रावधान के अन्तर्गत अध्यादेश 57 (Ordinance for maintenance of discipline amongst the students of the University Teaching Department एवं परिनियम संख्या 40 दिनांक 31.3.2018 में निहित प्रावधानों के अनुसार गठित प्रक्टोरियल बोर्ड/ एंटी रैगिंग समिति की बैठक 31.3.2020 को आयोजित की गई। समिति की अनुशंसा अनुसार रुपये 5,000/– प्रतिछात्र अर्थदण्ड के रूप में विश्वविद्यालय कोष में जमा करने के पश्चात कुलानुशासक मण्डल के अधीक्षक कार्मिक विभाग को अर्थदण्ड की रसीद की छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने पर श्री राकेश कुमार चढ़ार, सहायक कुलसचिव के माध्यम से एम.पी.ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव 10.09.20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री विष्णु तिवारी, विजय द्विवेदी, सौरभ शुक्ला, अभिजीत राय, ऋतिक शुक्ल एवं हर्षदेव सिंह, बी.काम.षष्टम सेमेस्टर की ओर पालनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग
3. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग।
4. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
6. संबंधित नस्ती।

सहायक कुलसचिव (कार्मिक)

Adesh

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2020/316

रीवा, दिनांक 06.8.2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान के अंतर्गत अध्यादेश 57 (Ordinance for maintenance of discipline amongst the students of the University Teaching Department) एवं परिनियम संख्या 40(विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिये विशेष परिनियम)दिनांक 21.03.2018, में निहित प्रावधानो के अनुसार 01.07.2020 से 2 वर्ष के लिये निम्नांकित प्राक्टोरियल बोर्ड/तथा एंटी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है:–

प्राक्टोरियल बोर्डः

1. प्रो0 एन0 पी0 पाठक
2. प्रो0(श्रीमती) नविता श्रीवास्तव — चीफ प्रॉक्टर
3. प्रो0 आर0एन0 पटेल — प्रॉक्टर
4. प्रो0 महेश श्रीवास्तव — प्रॉक्टर

एंटी रैगिंग समितिः — प्रॉक्टर

1. प्रो0 एन0 पी0 पाठक
2. प्रो0(श्रीमती) नविता श्रीवास्तव — चीफ प्रॉक्टर
3. प्रो0 आर0एन0 पटेल — प्रॉक्टर
4. प्रो0 महेश श्रीवास्तव — प्रॉक्टर
5. अभिभावक —प्रॉक्टर
6. अभिभावक —सदस्य
7. वरिष्ठ विद्यार्थी —सदस्य
8. वरिष्ठ विद्यार्थी —सदस्य

—सदस्य

क्रम संख्या 5,6,7 एवं 8 का मनोनयन कुलपति द्वारा पृथक से किया जायेगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. समिति के संयोजक एवं सदस्यगण, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय रीवा।
2. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
3. संबंधित नस्ती

सहा.कुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2020 / 453

रीवा, दिनांक 06-10-2020

संशोधित अधिसूचना

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक / 2020 / 316 दिनांक 06.08.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान के अंतर्गत अध्यादेश 57 (Ordinance for maintenance of discipline amongst the students of the University Teaching Department) एवं परिनियम संख्या 40(विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिये विशेष परिनियम)दिनांक 21.03.2018, में निहित प्रावधानो के अनुसार 01.07.2020 से 2 वर्ष के लिये निम्नांकित प्राक्टोरियल बोर्ड / तथा एंटी रैगिंग समिति के गठन मे प्रो0 एन0पी0 पाठक के स्थान पर प्रो0 ए0पी0 मिश्रा, आचार्य भौतिकी विभाग को समिति का संयोजक नियुक्त किया जाता है:-

प्राक्टोरियल बोर्ड:

1. प्रो0 ए0पी0 मिश्रा – चीफ प्रॉक्टर
2. प्रो0(श्रीमती) नविता श्रीवास्तव – प्रॉक्टर
3. प्रो0 आर0एन0 पटेल – प्रॉक्टर
4. प्रो0 महेश श्रीवास्तव – प्रॉक्टर

एंटी रैगिंग समिति:

1. प्रो0 ए0पी0 मिश्रा – चीफ प्रॉक्टर
2. प्रो0(श्रीमती) नविता श्रीवास्तव – प्रॉक्टर
3. प्रो0 आर0एन0 पटेल – प्रॉक्टर
4. प्रो0 महेश श्रीवास्तव –प्रॉक्टर
5. अभिभावक –सदस्य
6. अभिभावक –सदस्य
7. वरिष्ठ विद्यार्थी –सदस्य
8. वरिष्ठ विद्यार्थी –सदस्य

क्रम संख्या 5,6,7 एवं 8 का मनोनयन कुलपति द्वारा पृथक से किया जायेगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव 30/09/20

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :
1. प्रो0 एन0पी0 पाठक, कुलपति अ0प्र0 सिंह वि0वि0 रीवा
2. प्रो0 ए0पी0 मिश्रा, आचार्य, भौतिकी विभाग अ0प्र0 सिंह वि0वि0 रीवा
3. समिति के सदस्यगण, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय रीवा
4. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक
5. संबंधित नस्ती

सहा.कुलसचिव (कार्मिक)

Adhisuchna .....

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / अधि.छा.क. / 2020 / 925 दिनांक 4/12/2020

अधिसूचना

आदेशानुसार, सत्र 2020–21 हेतु विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग की रोक थाम एवं निराकरण हेतु रैगिंग प्रतिरोध समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

1	प्रो. आर.एन. सिंह,आचार्य गणित विभाग	संयोजक
2	प्रो. सुनील तिवारी, आचार्य लाइफ लॉग लर्निंग विभाग	सदस्य
3	प्रो. मृणाल श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग एवं वार्डन महिला छात्रावास	सदस्य
4	प्रो. दिनेश कुशवाहा, विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग	सदस्य
5	प्रो. महेश चन्द्र श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष प्रा.भा. इतिहास एवं पुरातत्व विभाग एवं वार्डन पुरुष छात्रावास	सदस्य
6	विद्यार्थी प्रमुख, पुरुष छात्रावास	
7	विद्यार्थी प्रमुख, महिला छात्रावास	

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव / आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. उपसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली।
4. समिति के सम्माननीय सदस्यगण।
5. कुलपति जी के सचिव
6. कुलसचिव के निज सहायक

Atul Pandey
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / अधि.छा.क. / 2020 / 925 दिनांक 5/12/20

अधिसूचना

आदेशानुसार सत्र 2020–21 हेतु विश्वविद्यालय मे रैगिंग पर नियत्रण हेतु विश्वविद्यालय स्तरीय समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

1	प्रो. अंजली श्रीवास्तव, अधिष्ठाता महावि. विकास परिषद	संयोजक
2	प्रो. आर.एन. पटेल, विभागाध्यक्ष रसायन विज्ञान विभाग	सदस्य
3	प्रो. अतुल पाण्डेय, विभागाध्यक्ष व्यावसायिक प्रबंधन	सदस्य
4	प्रो. श्रीकान्त मिश्र, विभागाध्यक्ष दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
5	श्रीमती नीरजा नामदेव, उप कुलसचिव	सदस्य

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव / आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. उपसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली।
4. समिति के सम्माननीय सदस्यगण।
5. कुलपति जी के सचिव
6. कुलसचिव के निज सहायक

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

(8)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

कार्मिक/2015/798

रीवा, दिनांक 20-09-2015

अधिसूचना

म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 2014/50-2 भोपाल दिनांक 11.02.2014 के अनुपालन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 के अध्याधीन श्रीमती श्वेता पाण्डेय, एस.आर. ... प्रौद्योगिकी विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा के शिकायती आवेदन पत्र पर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है–

1. डॉ0 अंजली श्रीवास्तव, आचार्य अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा – पीठासीन अधिकारी/ संयोजक
2. डॉ0 सुनील कुमार तिवारी, आचार्य अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा – सदस्य
3. डॉ0 आर0एन0 पटेल, आचार्य अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा – सदस्य
4. श्रीमती प्रीति तिवारी, अध्यक्ष, रिस्पॉसिबिल सिटिज़न, वेलफेयर सोसायटी रीवा म0प्र0 – सदस्य

नोटः समिति से अनुरोध है कि आलोच्य प्रकरण पर जांच कर अपना प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार

(डॉ0 बी0 भारती)
कुलसचिव

प्रति – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रो0 अंजली श्रीवास्तव, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, अ0प्र0 सिंह वि0वि0 रीवा
2. प्रो0 सुनील कुमार तिवारी, आचार्य, लाइफ लांग लर्निंग विभाग अ0प्र0 सिंह वि0वि0 रीवा
3. प्रो0 आर0एन0 पटेल, आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग अ0प्र0 सिंह वि0वि0 रीवा
4. श्रीमती प्रीति तिवारी, अध्यक्ष, रिस्पॉसिबिल सिटिजन, वेलफेयर सोसायटी रीवा म0प्र0
5. अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002
6. उप सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन भोपाल
7. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला रीवा म0प्र0
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
9. संबंधित नस्ती

उप कुलसचिव (कार्मिक)

Awadhesh Pratap Singh University, Rewa

Redressal of Grievances

The University has a strong and effective system of redressal for the grievances of students and faculty members. Every year the university constitutes committees like anti-ragging committee, committee for prevention and resolving of sexual harassment cases etc. comprising of teaching faculty and administrative staff for grievance redressal of various types. The committee meets as and when needed and resolves issues presented. Besides this, the students have the provision of approaching the CM helpline that addresses and resolves their issues. In addition to this, an examination grievances redressal committee is also constituted by the University for resolving issues related to the conduct of examination and the result declared thereafter. Special Examination and/or valuation are also conducted by the university as and when required.

02/02/22

Dr. Surendra Singh
Registrar,
A.P.S. University, Rewa